न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 60 / 2017

अ0धारा–80 उ0प्र0रा0संहिता 2006
ग्राम–बाराबंकी देहात, परगना व
तहसील–नवाबगंज, बाराबंकी।

नन्दलाल चैरिटेबिल एण्ड एजू0 ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष / संस्थापक मुख्य ट्रस्टी श्रीमती प्रभूदेई आदि
बनाम सरकार

छायाप्रति नकल आदेश दिनांक 3/6/17

नन्द लाल चैरिटेबिल एण्ड एजू0 ट्रस्ट अध्यक्ष / संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी श्रीमती प्रभूदेई बेवा नन्दलाल व सुशील कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम आलापुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया गया है, कि गाटा संख्या–1587मि / 0.310हे0 भूमि स्थित ग्राम–बाराबंकी देहात, परगना व तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी का प्रार्थीजन संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। उपरोक्त भूमि पर आवासीय गतिविधियां विद्यमान हो जाने के कारण कृषि कार्य नही हो पा रहा है। इसलिए उक्त भूमि को धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु याचना की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण की जाचं तहसीलदार नवाबगंज से भी करायी गयी। तहसील की आख्या दि0 07–04–2017 में उल्लिखित किया गया है कि गाटा संख्या–1587मि / 0.310हे0 भूमि स्थित ग्राम–बाराबंकी देहात, परगना व तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी के प्राथीजन संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। जो0 च0 आ0 पत्र–41 व 45 की प्रति संलग्न है। सन्दर्भित भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि को धारा–80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रार्थीजन द्वारा नियम 85(2) यू0पी0आर0सी0 2006 के अन्तर्गत तहसील आख्या के आधार पर उद्घोषणा शुल्क रू0–31,000.00 (इकत्तीस हजार रू0) चा0सं0–5 / 21 दिनांक 03–06–2017 जमा कर, दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

मैंने तहसील की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी, जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 व मौके के फोटोग्राफ सहित समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया। सन्दर्भित भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतएव प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने मे कोई विधिक अडचन नही है।

अतः ग्राम–बाराबंकी देहात, परगना व तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी की वर्तमान खतौनी 1419–1424 फ0 की खाता संख्या–1004 की गाटा संख्या–1587मि / 0.310हे0 मा0गु0 परता खाता को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तहसील की जांच आख्या दिनांक 07–04–2017 आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखगार की जाये।

दिनांकः– 03 जून 2017

3.6.17

(सुनील कुमार वर्मा)
उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज बाराबंकी।

3=7

कार्यालय निबन्धक 809
नकल पुकारने दरख्वास्त 03/6/17
तारीख तैयारी 05/6/17
तादाद कोर्ट फीस 3=7
तादाद शब्द 386
तारीख नकल 05/6/17

छायाप्रति
TRUE COPY
05/6/17